

कार्यवृत्त

राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही की बैठक दिनांक 18 जून, 2020 को माननीय प्रमुख, रा.म.अ.मौ.पू.कें. की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों ने प्रतिभाग किया:-

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. डॉ. ई.एन.राजगोपाल, वैज्ञानिक 'जी' व कार्यालय प्रमुख | - | अध्यक्ष    |
| 2. श्री मनोज गुप्ता, निदेशक (प्रशा./स्था.)             | - | सदस्य      |
| 3. डॉ.राघवेन्द्र, आश्रीत, वैज्ञानिक 'ई'                | - | सदस्य      |
| 4. श्री इमरानअली एम मोमीन, वैज्ञानिक 'डी'              | - | सदस्य      |
| 5. डॉ.हाशमी फ़ातिमा, वैज्ञानिक 'सी'                    | - | सदस्य      |
| 6. हिंदी प्रभारी                                       | - | सदस्य सचिव |

सभाध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत किया और सभा का शुभारंभ करने का निदेश दिया। जिसके उपरांत निम्न बिन्दुओं पर क्रमानुसार विचार-विमर्श किया गया:-

1. पूर्व बैठक में लिये गये फैसलों का अनुमोदन किया गया और उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा की गई।
2. कार्यालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में 31 मार्च, 2020 की समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट के साथ तुलनात्मक विवेचना की गई तथा विभिन्न अनुभागों के कर्मचारियों से प्राप्त आंकड़े हिन्दी पत्राचार एवं हिन्दी टिप्पण आलेखन तुलनात्मक अध्ययन किया गया। कार्यालय के कई अनुभागों द्वारा हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत कम आंका जाने पर भी चिंता व्यक्त की गई तथा उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि ऐसे अनुभागों को चिन्हित कर एक पत्र द्वारा सूचित करें तथा की गई कार्रवाई से अवगत करायें।
3. सर्वप्रथम चालू वर्ष 2020-21 में कार्यालय में राजभाषा नीति के अनुपालन के लिये किये गये कार्यों की समीक्षा की गई। यह सूचित किया कि गत वर्ष प्रत्येक तिमाही में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और राजभाषा विभाग व मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजी गई। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2020-21 पर की गई चर्चा इस प्रकार है:-
  - धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले सभी 14 दस्तावेजों को अनिवार्य रूप में अंग्रेजी हिन्दी दोनों में जारी किया जाना।
  - वर्ष के दौरान विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम 4 आयोजित किये जाने का प्रावधान है।
  - नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में कार्यालय प्रमुख की अनिवार्यता उपस्थिति।
  - प्रत्येक तिमाही में एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जाने का प्रावधान है।



- कार्यालय में हिन्दी पत्राचार 100 प्रतिशत होना चाहिए क्योंकि यह कार्यालय 'क' क्षेत्र में आता है।
- राजभाषा नियम 5 के अनुसार हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाना चाहिये।
- जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात हिन्दी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैन ड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में हिन्दी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय 50 प्रतिशत होना चाहिए।
- कार्यालय में आयोजित हिंदी वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में वैज्ञानिकों आदि को राजभाषा हिंदी में शोध पत्र पढ़ने के लिये प्रेरित और प्रोत्साहित करना।
- राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को बारी-बारी से प्रशिक्षण पर भेजा जाना सुनिश्चित किया जाना।
- कम्प्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वेबसाइट द्विभाषी होनी चाहिये।
- हिंदी पत्राचार से संबंधित लक्ष्य निर्धारित

'क' क्षेत्र	प्रतिशत	'ख' क्षेत्र	प्रतिशत	'ग' क्षेत्र	प्रतिशत
'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को	100	'ख' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को	90	'ग' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को	55
'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को	100	'ख' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को	90	'ग' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को	55
'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को	65	'ख' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को	55	'ग' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को	55

(कार्यवाही :- सभी अधिकारी/कर्मचारी)

4. बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि कार्यालय में नये भर्ती हुए वैज्ञानिकों को कार्यालय में बनाई गई हिंदी शिक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से हिंदी टाइपिंग का बारी-बारी से प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

(कार्यवाही :- हिंदी अनुभाग)

5. कार्यालय में दूसरी हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 03 फरवरी, 2020 को आयोजित किया गया। यह सराहनीय रहा और अध्यक्ष महोदय ने हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठी समिति को सुझाव दिया कि हिंदी संगोष्ठी का आयोजन वर्ष में दो बार आयोजित किया जा सकता है।

(कार्यवाही:-हिंदी संगोष्ठी समिति)

अंत में, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किए जाने के साथ ही इस सभा का समापन किया गया।

मनोज गुप्ता

(मनोज गुप्ता)

निदेशक (प्रशा.स्था), रा.म.अ.मौ.पू.के.

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. रा.म.अ.मौ.पू.के. के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य।
2. रा.म.अ.मौ.पू.के. के सभी अधिकारी/कर्मचारी (ई-मेल/सूचना पट्ट द्वारा सूचना) के माध्यम से।
3. कम्प्यूटर प्रभाग, रा.म.अ.मौ.पू.के. (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
4. संयुक्त निदेशक (रा.भा.), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली
5. प्रमुख महोदय के निजी सहायक